राष्ट्रीय लोक अदालत

UPSI060012402022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), सीतापुर

पीठासीन अधिकारी– शिवांगी चौधरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03345

C.I.S. NO: 213/2022

प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या–23/2022

राधेश्याम बनाम दिनेश कुमार उर्फ दुल्लर आदि।

दिनांक:–09.03.2024

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण प्रार्थना पत्र 3ग1 निस्तारण हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता अनपुपस्थित। प्रार्थना पत्र 3ग1 के निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थना पत्र 3ग1 वास्ते बाजदायर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा०दी० वास्ते अपास्त किये जाने आदेश दिनांकित 29.09.2022 मय शपथ पत्र 4ग2 प्रार्थी/वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मूल वाद दीवानी वाद संख्या 280/2020 दिनांक 29.09.2022 को न्यायालय में लिखित उत्तर व आपत्ति दाखिला हेतु लगा था अभी प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं हुए थे तामीला हेतु पुनः पैरवी करनी थी इस तिथि पर प्रार्थी बुखार से पीड़ित था और न्यायालय नहीं आ सका था तथा अपने न आ पने और पेशी बढ़वा लेने की सूचना अपने वकील महोदय को दे दी थी। पुकार के समय वकील महोदय भी अपने अन्य मुकदमों में व्यस्त हो जाने की वजह से न्यायालय नहीं पहुँच सके और मूलवाद पक्षों की अनुपस्थिति में निरस्त हो गया। प्रार्थी ने जानबूझकर वाद की पैरवी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रार्थी नेक नियती से वाद लड़ना चाहता है तथा गुणदोष के आधार पर वाद का फैसला चाहता ह। यदि प्रश्नगत आदेश अपास्त न किया गया और मूलवाद का फैसवा गुणदोष के आधार पर न किया गया तो प्रार्थी न्याय पाने से वंचित रह जायेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 29.09.2022 अपास्त करके पत्रावली अपने मूल नम्बर पर दर्ज करके पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए मूलवाद का फैसला गुणदोष के आधार पर करने की याचना की गयी है।

सुना व मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि दीवानी वाद संख्या 280/2020 राधेश्याम बनाम दिनेश कुमार उर्फ दुल्लर दिनांक 29.09.2022 को उभयपक्षों की अनुपस्थित में खारिज किया गया था। प्रार्थी/वादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी बुखार से पीड़ित होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका तथा पेशी बढ़वा लेने की सूचना अपने अधिवक्ता महोदय को दे दी थी परन्तु पुकार के समय अधिवक्ता महोदय भी अपने अन्य मुकदमों में व्यस्त होने जाने के कारण न्यायालय नहीं पहुँच सके जिस कारण न्यायालय द्वारा मूलवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। प्रार्थी /वादी ने जानबूझकर गलती न होने का कथन किया गया है। यहाँ पर आदेश 9 नियम 4 जा०दी० अवलोकनीय है, जिसमें प्रावधानित है कि **"Plaintiff may bring fresh suit of Court may restore suit to file.–** Where a suit is dismissed under rule 2 or rule 3, the plaintiff may (subject to the law of limitation) bring a fres suit; or he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for [1][such failure as is referred to in rule2], or for his non–appearance, as the case may be, the Court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit." उपरोक्त से स्पष्ट है कि आदेश 9 नियम 4 जा०दी० के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी पर उक्त आवेदन की नोटिस तामील कराया जाने का कोई Mandatory प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र विधिक समय सीमा के अंदर पेश किया गया है व शपथपत्र से समर्थित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभयपक्षों को सुनने के बाद गुण–दोष पर किया जाना न्यायोचित होता है। अतः प्रार्थना पत्र 3ग1 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग1 वास्ते बाजदायर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा०दी० वास्ते अपास्त किये जाने आदेश दिनांकित 29.09.2022 स्वीकार किया जाता है। मूल दीवानी वाद संख्या 280/2020 में पारित आदेश दिनांकित 29.09.2022 अपास्त किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद पत्रवाली निस्तारित की जाती है। प्रकीर्ण वाद की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दीवानी वाद सं० – 280/2020 अपने मूल नम्बर पर दर्ज हो। मूल पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक–12.04.2024 को पेश हो। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित मूलवाद की पत्रावली पर रखी जाये।

(शिवांगी चौधरी)
सिविल जज (जू०डि०),
सीतापुर।
JO CODE:UP03345

सुभाषिनी/–

Digitally signed by SHIVANGI CHAUDHARY
Date: 2024.03.09 13:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sitapur